



मध्यप्रदेश शासन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, 462004
::आदेश::

भोपाल, दिनांक 20/01/2022

क्रमांक एफ-6-2/2022/पैंतीसः डॉ० चक्रेश ठाकुर पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी औबेदुल्लागंज द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता एवं मुख्यालय पर निवास न करने तथा संतोषजनक कार्य नहीं किए जाने के कारण राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 9 में प्रावधानित नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है :-

- 2/ डॉ० चक्रेश ठाकुर, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।
- 3/ निलंबन अवधि में डॉ० चक्रेश ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं ग्वालियर संभाग निर्धारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(सुनील मंडावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग
भोपाल दिनांक 20/01/2022

20 JAN 2022

पृ० क्रमांक एफ-6-2/2022/पैंतीस
प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सहायक, मान० मंत्रीजी पशुपालन भोपाल,
- 2/ निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग
- 3/ संचालक, पशुपालन मध्यप्रदेश, भोपाल,
- 4/ संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें भोपाल संभाग, भोपाल/ग्वालियर,
- 5/ उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला रायसेन,
- 6/ डॉ० चक्रेश ठाकुर पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी औबेदुल्लागंज, द्वारा संचालक, पशुपालन, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 7/ बेवसाइट प्रभारी की ओर बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 8/ स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग